

परिशिष्ट –III


(प्रारूप 'ए')

आयुध अनुज्ञापति के लिए आवेदन का प्रारूप

(नियम 51 देखिए)

भाग—क आवेदक की पहचान

- 1—नाम.....
- 2—पिता/पति का नाम.....
- 3—जन्म स्थान.....
- 4—जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में).....
- 5—वर्तमान पता.....
(क) निकटतम पुलिस थाना.....
- 6—स्थायी पता.....
(ख) निकटतम पुलिस थाना
- 7—व्यवसाय और कार्यालय व पद का नाम यदि कोई है
- 8—जाति (सामान्य, अनु० जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)



हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

टिप्पणी—निकटतम पुलिस थाने से अभिप्राय है कि वह पुलिस थाना जिसके अधिकारिता के अधीन पते में दिया गया स्थान स्थित है।

भाग-ख आवेदन की अन्य विशिष्टियां

9- क्या आवेदक को

- (क) सिंह दोष ठहराया गया है, यदि हाँ तो अपरा दण्डादेश और दण्डादेश की तारीख लिखिए ।
(ख) परशान्ति कायम रखने के लिए व सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अध्याय 8 के अधीन कोई बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश किया गया है यदि किया गया तो कब तक कितनी अवधि तक के लिए ।
(ग) आयुध/गोला बारूद को रखने से आयुध अधिनियम 1959 या किसी अन्य नियम के अधीन निषिद्ध किया गया है ।

10(क) क्या आवेदक का अनुज्ञप्ति के लिए पहले भी आवेदन किया है यदि किया है तो कब किसे और उसका परिणाम क्या हुआ ।

(ख) क्या आवेदक का अनुशासन कभी निलम्बित/निरस्त खण्डित किया यदि हाँ तो कब और किससे द्वारा किस कारण से ।

(ग) क्या आवेदक के परिवार के किसी अन्य किसी सदस्य के पास कोई शस्त्र अनुज्ञप्ति है । यदि हाँ तो उसका विवरण ।

11- क्या आवेदक

अ- अनुज्ञप्तिधारी यदि है तो आयुध का विवरण ।

ब- के पास जायुत्री को रखने के लिए सुरक्षित स्थान है ।

स- वास्तविक पर्यटक है यदि है तो

1- किस देश का है उस देश का नाम

2- क्या वह किसी आयुध और गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने से अपने देश की विधियों द्वारा निषिद्ध किया गया है ।

3- भारत में उसके आगमन की सम्भाव्य तारीख

टिप्पणी- वास्तविक पर्यटक को आयुध और गोला बारूद की धारा और नियम 32 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन केवल आखेट के प्रयोजन के लिए ही बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।

भाग- ग लाइसेन्स की विशिष्टियां

- 12- लाइसेन्स की आवश्यकता
13- फार्म का नम्बर जिसमें लाइसेन्स की मांग की गई है।
14- आयुध/बारूद का विवरण
15(अ) उस क्षेत्र का नाम जिसके अन्तर्गत आवेदक आयुध बारूद ले जाना चाहता है।
(ब) उस स्थान का नाम जहाँ आयुध/बारूद रखा जायेगा /निर्माण किया जायेगा।
(स) स्थान/रास्ते का विवरण जहाँ से आयात/निर्यात किया जायेगा।
16- अन्य आवश्यक विवरण जो लाइसेन्स फार्म में आवश्यक है।
17- लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेखनीय तथ्य यदि हो।
(क) सांसद/विधान सभा/विधान परिषद सदस्य
(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कोई जघन्य अपराध घटित हुआ है।
(ग) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी
(घ) व्यवसायी
(ङ) ऐसे व्यक्ति जिनको वास्तविक जीवन भय है।
(च) उत्तराधिकार/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र

भाग- घ उन आवेदकों के जो आयात/निर्यात/परिवहन पुनः निर्यात पुनः आयात के लिए अनुज्ञप्ति चाहते हैं।

- 1.(क) क्या नियम 50 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी की पूर्ण अनुमति आवश्यक है यदि ऐसा है तो क्या अनुमति प्राप्त हो गई है यदि हाँ तो
(ख) उसके सम्बन्ध में साक्ष्य

टिप्पणी- कालम 12 के सम्बन्ध में आवेदन का स्पष्ट रूप से लाइसेन्स दिये जाने का कारण उल्लेख करना चाहिए जिस कारण उसे लाइसेन्स की आवश्यकता है जैसे प्रयोग अधिग्रहण कब्जे में रखी जाने निर्माण करने विक्रय हस्तान्तरण, मरम्मत, बदलने,परीक्षण, आयात, पुनः आयात, निर्यात परिवहन, स्वयं की सुरक्षा, क्रीड़ा दिखाने, जंगली जानवर , मानव/पशुओं को घायल सकते हैं, के मारने हेतु अपनी फसल एवं पशुओं की रक्षा हेतु , लक्ष्य अभ्यास,वास्तविक पर्यटक का भारत में भ्रमण के समय अस्थाई रूप से रखने हेतु।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण जो प्रार्थना पत्र में दिये गये हैं वह सत्य पूर्ण और सही है। मैं यह जानता हूँ कि झूठी या गलत सूचनाएं किसी भी स्तर पर पाये जाने पर मैं इसके लिए दोषी हूँगा और आयुध अधिनियम -1956 व आयुध नियमावली 1962 तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किये गये नियम (जो वर्तमान में लागू है) अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के लिए उत्तरदायी हूँगा।

स्थान -
दिनांक -

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

(टिप्पणी - अनुज्ञप्ति प्रविष्टि का खण्डन कीजिए।)

चेतावनी- प्रार्थना पत्र में छिपायी गयी किसी भी तथ्यात्मक सूचनाएं कोई भी झूठी या गलत सूचना नियम 51ए का उल्लंघन होगा, जिसके आवेदक शस्त्र अधिनियम 1950 की धारा 30 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर

सं०

दिनांक:.....

थानाध्यक्ष.....

श्री..... पुत्र श्री.....

निवासी..... थाना..... तहसील..... जिला.....

ने..... के लाइसेन्स प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया है कृपया आप उनके प्रार्थना पत्र के विषय में जांच कराकर 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में अपने मत के साथ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजने का कष्ट करें।

कृते जिला मजिस्ट्रेट,
सुलतानपुर।

पुलिस फार्म नं० 47

शस्त्र अनुज्ञप्ति दिए जाने के आवेदन पत्र पर पुलिस
रिपोर्ट का प्रारूप

1. प्रार्थी का नाम व उम्र.....
2. निवास स्थान (क) स्थाई पता.....
(ख) अस्थायी पता.....
3. व्यवसाय.....
4. गांव/मोहल्ला में लाइसेन्सधारी की संख्या, उनका प्रकार नम्बर आदि.....
5. थाने/मोहल्ला में गांव की दूरी व जनसंख्या.....
6. (क) क्या प्रार्थी की आवश्यकता वास्तविक है अथवा केवल प्रतिष्ठा हेतु शस्त्र ले रहा है.....
(ख) क्या प्रार्थी का जीवन भय है यदि है तो कारण.....
7. क्या प्रार्थी के पास या परिवार में निवास करने वाले उसके घनिष्ठ सम्बन्धी के किसी सदस्य के पास शस्त्र लाइसेंस है, या ऐसा है तो इसका विवरण:-
(परिवार में खूरी रिस्ते अर्थात् चाचा, मामा, भाई, पिता पुत्र तथा उपरोक्त की पत्नी, पुत्र एवं वयस्क अविवाहित पुत्री/बहनें सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त परिवार के नौकर एवं खूनी रिस्ते भी सम्मिलित हैं।)
8. क्या प्रार्थी एक अपराधी या पुराना वाला हिस्ट्रीशीटर है.....
9. आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण.....
10. क्या प्रार्थी का लाइसेन्स कभी निलम्बित या खण्डित हुआ.....
11. क्या प्रार्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ है.....
12. क्या प्रार्थी ग्राम सुरक्षा समिति का सदस्य है.....
13. साधारण योग्यता एवं सेवा.....
14. थानाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति अथवा असंस्तुति.....
15. पुलिस उपाधीक्षक की संस्तुति/असंस्तुति.....
16. पुलिस अधीक्षक की संस्तुति/असंस्तुति.....

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर

दिनांक:.....

उप जिला मजिस्ट्रेट.....

श्री.....

निवासी.....थाना.....जिला.....

ने.....ये लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, कृपया आप उनके प्रार्थना पत्र में जाँच करवाकर 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में अपने मत के साथ भेजने का कष्ट करें।

कृते : जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर

शस्त्र अनुज्ञप्ति दिए जाने के आवेदन-पत्र पर तहसीलदार की जाँच की आख्या का प्रारूप

- 01- आवेदक का नाम पिता के बारे में टिप्पणी.....
- 02- आवेदक परिवार उसके परिवार सदस्यों के आम छवि क्या है.....
- 03- आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई सरकारी धन तो बकाया नहीं है.....
- 04- आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों ने सरकारी गांव सभा की भूमि पर कब्जा तो नहीं किया है.....
- 05- आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों का कोई भूमि विवाद- न्यायालय में चल रहा है अथवा नहीं.....
- 06- आवेदक द्वारा प्रशासनिक कार्य में सहयोग की स्थिति.....
- 07- अल्प बचत में योगदान.....
- 08- परिवार नियोजन में योगदान क स्थिति में कितने बच्च हैं.....
- 09- धारा-107/116 दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण.....
- 10- क्या प्रार्थी हथियार सुरक्षित रख सकता है, और सुरक्षित रखने का स्थान है.....
- 11- उत्तराधिकारी लाइसेन्स प्रकरणों में स्पष्ट मत दिया जाए कि प्रार्थी के पक्ष में आज्ञा पत्र जारी करने में उत्तराधिकारी कोई भी विवाद तो नहीं है, विवाद संक्षिप्त विवरण में अंकित करें।
- 12- प्रार्थी के आय का साधन, वार्षिक आय.....
तहसीलदार का स्पष्ट मत अपने हस्तलेख में अंकित स्पष्ट संतुलित/अथवा असंतुष्ट बावत परगना मजिस्ट्रेट की आख्या।

नाम व हस्ताक्षर तहसीलदार

नाम व हस्ताक्षर उप जिला मजिस्ट्रेट

शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार की जाँच आख्या प्रारूप

1. आवेदक का नाम.....आयु.....व्यवसाय—व्यापारी / नौकरी
कृषि, कृषक भूमि.....गाटा सं०.....रकबा.....
दुकान/कार्यालय का नाम व पता.....पदनाम.....
2. पिता/पति का नाम.....आयु.....व्यवसाय—व्यापारी / नौकरी
कृषि, कृषक भूमि.....गाटा सं०.....रकबा.....
3. आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों की संख्या.....
4. आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों की आम छवि आपराधिक इतिहास.....
धार्मिक/उत्सव सामाजिक अवसरों चुनाव के दौरान.....
5. आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई सरकारी धन तो बकाया नहीं है, यदि है तो उसका विवरण:—
(1) मद.....
(2) बकाया धनराशि.....
(3) वसूली हेतु कृत कार्यवाही कुर्की/गिरफ्तारी/नीलामी.....
6. आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों ने ग्रामसभा की भूमि पर कब्जा तो नहीं किया है, यदि है तो उसका विवरण:—
(1) खाता संख्या.....
(2) गाटा संख्या.....रकबा.....
(3) श्रेणी.....
(4) अवैध कब्जा का रकबा.....
(5) किस प्रकार का कब्जा.....खेती, बाग, आबादी.....
(6) धारा 122बी की कार्यवाही.....बेदखली जुर्माना.....
7. आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों ने ग्रामसभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा में सहयोग तो नहीं दिया है, यदि हाँ तो.....
(1) सदस्य का नाम.....आयु.....व्यवसाय.....
(2) आवेदन से सम्बन्ध.....
8. आवेदक/उसके परिवार के सदस्यों का कोई भूमि का विवाद न्यायालय में चल रहा है या नहीं यदि हाँ तो विवरण:(1) न्यायालय का नाम.....
(2) धारा का नाम.....
(3) निर्णय.....
9. आवेदक द्वारा प्रशासनिक कार्य में सहयोग की स्थिति.....
10. अल्प बचत में योगदार.....
11. परिवार के नियोजन में योगदार की स्थिति कितने बच्चे हैं.....
12. धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण:
(1) कितनी बार.....
(2) कितनी अवधि हेतु.....
(3) जिला कारागार में निरुद्ध किया गया है/नहीं.....
13. क्या आवेदक हथियार सुरक्षित रख सकता है और सुरक्षित रखने का स्थान है।
उनका पता.....
14. उत्तराधिकारी के लाइसेन्स के प्रकरणों में स्पष्ट मत दिया जाय कि प्रार्थी के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी करने में उत्तराधिकारियों में कोई विवाद तो नहीं है। यदि विवाद है तो विवाद का संक्षिप्त विवरण अंकित करें मूल लाइसेंस कहाँ से निर्गत तथा कहाँ से नवीनीकृत हुआ है।
15. आवेदक की आय का साधन.....वार्षिक आय.....
(प्रत्येक व्यवसाय से आय का उल्लेख अलग-अलग करें)
16. वार्षिक आयकर.....
17. वार्षिक व्यापार कर.....
18. वार्षिक टर्नओवर (रूपये में)
तहसीलदार का स्पष्ट मत (अपने हस्तलेख में अंकित)
स्पष्ट संस्तुति/अथवा असंतुष्टि.....
सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट की आख्या

नाम एवं हस्ताक्षर तहसीलदार

